क्र॰ सं॰	व्यक्तियों के नाम और पते	अभ्युक्तियां
61.	श्री नूर अहमद खान 138 नूरूल्लाह रोड, इलाहाबाद	—वही—
62.	श्री ज्वालानाथ रैना 158 ओल्ड कटरा, इलाहाबाद	—वही—
63.	श्री राम अवल यादव, 58/ए-6चाक जीरो रोड, इलाहाबाद	—वही—
64.	श्री राकेश कुमार केशरवानी 12 शाहगंज लीडर रोड, इलाहाबाद	पंजीकरण की सूचना नहीं मिली।
65.	श्री विमलेश कुमार श्रीवास्तव 24-ए सिविल लाइन्स, इलाहाबाद	—वही—
66.	श्री इरशीद हुसैन 116/138 निरूला रोड, इलाहाबाद	—वही—
67.	मै॰ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन इंडिया लि॰, चन्द्रलोक सिनेमा 8-डी रोड इलाहाबाद।	—वही—

नोट : 2, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 60 से 67 तक घेरे के भीतर लिखी क्रम संख्याएं माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर उनके कोटे से जारी टेलीफोनों की मंजूरी की सूचक हैं।

Allocation of telephone connections in Bihar

2912. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to provide gainful employment to the needy citizens by allotting local as well as pay phone lines;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what is the number of such telephones connections that have, so far, been allotted in Bihar by Government;

(d) whether any applications from Bihar are still pending in this regard; and

(e) by when Government propose to allocate telephone lines to all such applicants?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) Under the liberalised policy, local and STD/ISD Payphones are provided to all those who volunteer subject to fulfilment of prescribed conditions and feasibility. Preference is given to handicapped persons, ex-servicemen / war widows, retired Department of Telecom employees, women (educated and unemployed), SC/ST and other weaker sections of society.

(c) 412 number of STD Payphones have been allotted so far.

(d) Till date, 442 applications have been received.

(e) Out of 442 applications, 56 will be processed by end of March, 1992 and balance 386 will be processed after the applicants complete requisite departmental formalities.

बिहार में एस॰टी॰डी॰ सुविधाएं

2913. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में किन-किन शहरों में एस॰टी॰डी॰ सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) वर्ष 1992 में किन-किन नगरों और कस्बों में इस सेवा का विस्तार किया जायेगा?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰वी॰ रंगैया नायडू): (क) सूची विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ख) बिहार में वर्ष 1992 के दौरान संसाधन उपलब्ध होने पर जिन स्थानों पर एस॰टी॰डी॰ सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है उनके नाम इस प्रकार हैं:

चतरा, गढ़वा, जमुई, सुपौल, बक्सर, रामगढ़ (हजारीबाग), घाटशिला, पतरातू राजरप्पा, कुजु, नोवामंडी, बरजमदा, चक्रधरपुर, शेखपुरा, लखीसराय, झाझा, खेलगांव, पाकड, राजमहल, बढ़वारा, पालाजोरी, झरमुदी, मधेपुरा, अमरपुर, डुमरांव, पीरो, विक्रमगंज, कोचस, दिनारा, बनजारी, दाउदनगर, अरवल, काको, मशौढ़ी, बिक्रम, हिलसा, बख्तियारपुर, केरमा, बरसोई, जैनगर,, निर्मली, कुढ़नी, दलसिंहराय, कटोरिया, बाधा, वैशाली, सुगौली, बीरपुर, जपला, लठेर, कुंटी, सिमडेगा, कटरास, बेरमा, ईश्वरीबाजार, बरही, राजौली,

वारसलीगंज, शेरघाटी।

कुल स्थान — 59

विवरण

बिहार में 29/2/92 को जिन 115 स्थानों पर एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध है उनके नाम है :

अरिया, औरंगाबाद, बनगांव, बेगूसराय, बेनीपट्टी, भागलपुर, बीहट, (बेगूसराय), भगवानपुर, बाढ़, चाईबासा, चास, चनपटिया, डालमियानगर, दरभंगा, धनबाद, ढाका, फतुहा, गढखा, गिरीडीह, गोपालगंज, गुमला, गुरूबाजार, हाट पुरानी, हाटीडाह, जमशेदपुर, जसीडीह, झंझारपुर, जोगबनी, कांके, खागडिया, कोडरमा, कासबा, मधेपुरा, महाराजगंज, मढ़ौरा, मुंगेर, मानसी, नवादा, निरमाली, पटना, पुर्णिया, पिरपैती, रामगढ़ (शाहाबाद), राजधनवाड़, राजनगर, रूनीसैदपुर, साहेबगंज, समस्तीपुर, सौर बाजार, सिंधेश्वर स्थान, सीवान, सराय, ठाकुरगंज, सिमरी, बख्तियापुर, आरा, बांका, बनमाखी, बरौनी, बेतिया, बिहार शरीफ, बोकारो, बरियापुर, बोधगया, छपरा, चिरकुंडा, चाकन्द, डालटनगंज, देवधर, दुमका, धोली, फारबिसगंज, गया, गोड्डा, गोघरडिहा, गुमला, हाजीपुर, हजारीबाग, जमहोरा, जनकपुर रोड, कांति, जहानाबाद, झुमरीतलैया, कमतौल, काटिहार, किशनगंज, लोहरदगा, मधुबनी, महेशखुंट, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुरलीगंज, नांलदा, परसुद्धि, पांचगछिया, पुसा, राजगीर, रासेड़ा, रांची, रक्सौल, सहरसा, साकरी (मधुबनी), सासाराम, सिन्दरी सीतामढ़ी, सोनपुर (हाजीपुर) सोनबर्सराज, तातिनसिलवाड, भबुआ, मोहनिया, ओबरा (औरंगाबाद), बेलागंज (गया) बिहटा, मनेर, मोकामा, पावापुरी।

[कुल स्थान— 115]

Supreme Court's judgement regarding seniority in S.T.S. of I.T.S. group-A

2914. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether a judgement was delivered by Hon'ble Supreme Court regarding the seniority in STS of ITS group-A employees;

(b) if so, whether some promotee officers in STS regained their seniority and are now due to be promoted to JAG of ITS Group 'A' since many juniors to them have already been promoted to the said Grade; and

(c) if so, when the said promotion order for the STS promotee offices in JAG is being issued?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Promotion orders for the eligible STS promotee officers to JAG have already been issued on 3.3.1992.

टेलीफोन कनेक्शन लगाये जाने पर प्रतिबंध

2915. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद वित्तीय वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मंजूर किये गये टेलीफोन कनेक्शनों के लगाये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रतिबंध किस तारीख से लगाया गया था और इसके पीछे क्या उद्देश्य था;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे कनेक्शनों से प्रतिबंध हटाने के संबंध में विचार कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रतिबंध कब हटाया जायेगा और 15 फरवरी, 1992 तक इस प्रकार लगाये गये उक्त कनेक्शनों की संख्या कितनी है और ऐसे कितने कनेक्शन हैं जिन्हें अभी तक नहीं लगाया गया है; और

(ङ) सरकार/महानिदेशक, टेलीफोन, नई दिल्ली के स्तर पर जून, 1991 से 15 फरवरी, 1992 तक कितने कनेक्शन मंजूर किये गये थे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू): (क) से (ग) ये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी कार्रवाई करते समय, दूरसंचार क्षेत्र इकाइयों द्वारा बिना बारी के मंजूरशुदा टेलीफोनों के कुछ जाली मामले सामने लाए गए। जाली मामलों का पता लगाने के लिए पिछली सरकार ने मई, 1991 में इस मामले की जांच-पड़ताल का आदेश दिया था और इसलिए जांच पूरी होने तक बिना बारी के मंजूरशुदा टेलीफोन कनेक्शनों के सभी विचाधीन मामलों के संबंध में टेलीफोन प्रदान करने की कार्रवाई उस समय रोक दी गई थी। मामला सी०बी०आई० को सौंप दिया गया है।

तथापि, माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों पर उनके कोटे से मंजूर किए गए टेलीफोन कनेक्शनों को तुरन्त लगाने के लिए क्षेत्र इकाइयों को जुलाई, 1991 में